



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276208
CG-DL-E-15092026-276208

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4758]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4758]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 4948(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4479(E) तारीख 30/09/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के अमरेली जिले में NH 351K के कि.मी. 14.268 से कि.मी. 48.774 , कि.मी. 61.732 से कि.मी 82.093. तक के भूखण्ड (बगसरा टू ऊना सेक्शन) का निर्माण, (चौड़ा करने/दो / चार लेन पेंड शोल्डर का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18/10/2025 को "द टाइम्स ऑफ इंडिया [इंग्लिश]" , 18/10/2025 को "दिव्या प्रकाश" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 351K के कि.मी. 14.268 से कि.मी. 48.774 ,कि.मी. 61.732 से कि.मी. 82.093.कि.मी. तक के भूखण्ड (बगसरा टू ऊना सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: अमरेली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: धरी					
गांव का नाम: धारी					
1	1098 मीन	निजी	कृषि	0.4519	जयाबेन विठलभाई नसीत, मितलबेन विठलभाई नसीत, परिबेन विठलभाई नसीत, मयूरीबेन विठलभाई नसीत, पृथ्वी विठलभाई नसीत, यश विठलभाई नसीत 1098 P2
2	1098 मीन	निजी	कृषि	0.1794	नसित महेशभाई छगनभाई 1098 P2/P1
3	1108 मीन	निजी	कृषि	0.0652	मणिबेन रामभाई चावड़ा, शामजीभाई रामभाई चावड़ा, नागजीभाई रामभाई चावड़ा, लाभुबेन रामभाई चावड़ा, कमलाबेन रामभाई चावड़ा, सविताबेन रामभाई चावड़ा, शांताबेन रामभाई चावड़ा 1108 P96

4	1108 मीन	निजी	कृषि	0.1839	बटुकभाई हिरजीभाई कंबोडी, अशोकभाई हिरजीभाई कंबोडी, नरेशभाई हिरजीभाई कंबोडी 1108 P88/P2
5	1127 मीन	सरकारी	पडतर	1.363	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय कृषि अनुसंधान केंद्र धारी 1127 P2
6	149 मीन	निजी	कृषि	0.2062	नैतिक उपेन्द्रभाई जानी, मीरा उपेन्द्रभाई जानी 149/P1/P1/P1
7	220 मीन	सरकारी	पडतर	0.2739	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय 220
8	833 मीन	सरकारी	पडतर	0.5781	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय कृषि अनुसंधान केंद्र धारी 833

गांव का नाम: खीचा

9	32 मीन	निजी	कृषि	0.1685	किशोरभाई वल्लभभाई बुहा, दिनेशभाई वल्लभभाई बुहा 32/2 P3
10	32 मीन	निजी	कृषि	0.3566	लीलीबेन पोपटभाई बुहा 32/2 P1
11	33/1 मीन	निजी	कृषि	0.5322	देवराजभाई जसमतभाई वागडीया, विठलभाई जसमतभाई वागडीया, हंसाबेन नागजीभाई वागडीया, मुकेशभाई नागजीभाई वागडीया, महेशभाई नागजीभाई वागडीया, नरेशभाई नागजीभाई वागडीया, जयाबेन प्रागजीभाई वागडीया, अस्मिताबेन प्रागजीभाई वागडीया, अनिताबेन प्रागजीभाई वागडीया, परेशभाई प्रागजीभाई वागडीया, विनेशभाई प्रागजीभाई वागडीया, हंसाबेन छगनभाई शिरोया, राजेशभाई छगनभाई शिरोया, रेखाबेन छगनभाई शिरोया, मुकेशभाई छगनभाई शिरोया, कल्पनाबेन छगनभाई शिरोया, हरेशभाई जीवराजभाई वागडीया, मीनाबेन जीवराजभाई वागडीया, नीताबेन जीवराजभाई वागडीया, संजयभाई जीवराजभाई वागडीया, नयनाबेन शैलेषभाई वागडीया, सगीर क्रियान शैलेषभाई वागडीया के वाली नयनाबेन

					शैलेषभाई, सगीर क्रिशा शैलेषभाई वागडीया के वाली नयनाबेन शैलेषभाई 33/1
Total				4.3589	

[फा. सं. GJ/LA/351K/24/2024-25/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. 4948(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4479(E) Dated:30/09/2025** , , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3D of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification Building (widening / two /four lanning with paved shoulder) Maintenance, management and operation of NH 351K in the stretch of land from **Km. 14.268 to km 48.774, km 61.732 to Km. 82.093 (BAGASARA TO UNA) in the district of AMRELI in the state of GUJARAT.**

And whereas the substance of the said notification has been published in **“The Times of India” dated 18/10/2025 , “Divya Prakash” dated 18/10/2025** ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 351K in the stretch of land from Km. 14.268 to km 48.774, km 61.732 to Km. 82.093 (BAGASARA TO UNA) in the district of AMRELI in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: AMRELI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dhari					
Village: Dhari					
1	1098 Min	Private	Agriculture	0.4519	Jayaben Vitthalbhai Nasit, Mitalben Vitthalbhai Nasit, Pariben Vitthalbhai Nasit, Mayuriben Vitthalbhai Nasit, Pruthvi Vitthalbhai Nasit, Yash Vitthalbhai Nasit 1098 P2

2	1098 Min	Private	Agriculture	0.1794	Nasit Maheshbhai Chhaganbhai 1098 P2/P1
3	1108 Min	Private	Agriculture	0.0652	Maniben Rambhai Chavda, Shamjibhai Rambhai Chavda, Nagjibhai Rambhai Chavda, Labhuben Rambhai Chavda, Kamlaben Rambhai Chavda, Savitaben Rambhai Chavda, Shantaben Rambhai Chavda 1108 P96
4	1108 Min	Private	Agriculture	0.1839	Batukbhai Hirjibhai Kambodi, Ashokbhai Hirjibhai Kambodi, Nareshbhai Hirjibhai Kambodi 1108 P88/P2
5	1127 Min	Government	Waste Land	1.363	Junagadh Agricultural University Agricultural Research Center Dhari 1127 P2
6	149 Min	Private	Agriculture	0.2062	Naitik Upendrabhai Jani, Meera Upendrabhai Jani 149/P1/P1/P1
7	220 Min	Government	Waste Land	0.2739	Junagadh Agricultural University 220
8	833 Min	Government	Waste Land	0.5781	Junagadh Agricultural University Agricultural Research Center Dhari 833
Village: Khicha					
9	32 Min	Private	Agriculture	0.1685	Kishorbhai Vallabhbhai Buha, Dineshbhai Vallabhbhai Buha 32/2 P3
10	32 Min	Private	Agriculture	0.3566	Liliben Popatbhai Buha 32/2 P1
11	33/1 Min	Private	Agriculture	0.5322	Devrajbhai Jasmatbhai Vagadiya, Vithalbhai Jasmatbhai Vagadiya, Hansaben Nagjibhai Vagadiya, Mukeshbhai Nagjibhai Vagadiya, Maheshbhai Nagjibhai Vagadiya, Nareshbhai Nagjibhai Vagadiya, Jayaben Pragjibhai Vagadiya, Asmitaben Pragjibhai Vagadiya, Anitaben Pragjibhai Vagadiya, Pareshbhai Pragjibhai Vagadiya, Vineshbhai Pragjibhai Vagadiya, Hansaben Chhaganbhai Shiroya, Rajeshbhai Chhaganbhai Shiroya, Rekhaben Chhaganbhai Shiroya, Mukeshbhai Chhaganbhai Shiroya, Kalpanaben Chhaganbhai Shiroya, Hareshbhai Jivrajbhai Vagadiya, Meenaben Jivrajbhai Vagadiya, Neetaben Jivrajbhai Vagadiya, Sanjaybhai Jivrajbhai Vagadiya, Nayanaben Shaileshbhai Vagadiya, Minor Kriyan Shaileshbhai Vagadiya Gurdian Nayanaben Shalieshbhai, Minor Krishna Shaileshbhai Vagadiya Gurdian Nayanaben Shalieshbhai 33/1
Total				4.3589	

[F. No. GJ/LA/351K/24/2024-25/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director